न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2014 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री देवचन्द पिता श्री कानजी भील निवासी आमलीओटा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामा पिता श्री माधु भील निवासी छत्रीपाड़ा देवदा पटवार हल्का देवदा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्रीमान तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान उपनिवेशन
माही परियोजना सरकार भूमि आवंटन एवं विक्रय
नियम 1984 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
घाटोल दि0 2–4–2014 प्रकरण संख्या 42/2012

———/———

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

——————————

निर्णय **दिनांक 22–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धार/नियम–17 राजस्थान माही उपनिवेशन नियम 1084 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवदा की आराजी नंबर 781 रकबा .13 हैक्टर भूमि पर वह 40 वर्षो से काश्त कर रहा है, उक्त भूमि का मिली–भगत व गलत रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी संख्या–1 को दिनांक 21–10–2005 को आवंटन किया जाकर नामान्तरकरण खोल दिया गया है। भूमि की

अधिसूचना जारी नहीं हुई, मौके की जांच नहीं हुई, आवंटन शर्तो की पालना नहीं हुई। आवंटी को खातेदारी भी दे दी गई, आवंटन खारिज किया जाय।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को भूमि का विधिवत आवंटन होकर वह काबिज व खातेदार है। भूमि पर प्रार्थी ही काबिज है। अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में विपक्षी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 4/2013 से अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी शुदा है। प्रकरण में दिनांक 12–2–2014 को पर्चा मौका भी मुर्तिब हुआ है। जिसमें मोतबिरानों ने निरीक्षण समय प्रार्थी का कब्जा होना बताया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 2–4–2014 से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन क्षैत्राधिकार विहिन होने से खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 2–4–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–6–2014 को पेश की। अपील के साथ दिफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेट संख्या–2 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार के रूप में राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के विपरित निर्णय पारित किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक अपना क्षैत्राधिकार नहीं माना है। अपीलान्ट की अन्य

आपत्तियों पर भी कोई विधिक निर्णय पारित नहीं किया है, कमिश्नर रिपोर्ट भी नजर अन्दाज की है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि धारा/नियम–17 के तहत आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी को संबंधित नियमों के आवंटन निरस्तीकरण का अधिकार सिर्फ फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन तथा गलत बयानों के आधार पर ही उपलब्ध है। प्रस्तुत पकरण में इस आश्य की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने अपना क्षैत्राधिकार नहीं मानने में कोई त्रुटि नहीं की है।

प्रकरण में जहां तक अधिसूचना जारी नहीं होने अथवा आवंटन शर्तो की अपालना होने के तथ्यों का प्रश्न है, ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कमिश्नर मौका रिपोर्ट आवंटी की अनुपस्थिति में मोतबिरान के कहे अनुसार तैयार की गई है, जिसका इस प्रकरण में कोई सारभूत विधिक महत्व नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट प्रमुखतया अपने पुराने नाजायज कब्जे/अतिक्रमण के आधार पर आवंटन 7 वर्षो बाद जबकि आवंटी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, निरस्त करवाना चाहता है। अतिक्रमी का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता तथा अतिक्रमी द्वारा आवंटन/नियमन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 2–4–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर